21-5-18 को

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील नहीं आए। प्रतिवादिगण [illegible] वकील नहीं। लगातार पेश करने हेतु कहा गया। वकील नहीं। वादी लगातार पेश करने हेतु दिनांक 11-7-2018 से वाद भवनार किये जा रहे हैं। दिनांक 02/10/18 को अंतिम अवसर दिया जा रहा है परन्तु लगातार अधिवक्ता तक पेश नहीं किया गया है अतः अब वाद मय सम्पूर्ण व्यय रोक 03 / मिनट 05 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तत्पश्चात नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी
दूदू